महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – सैतीसवां संस्करण (माह अप्रैल, 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
3. राजमिस्त्री नई पहचान
4. सतत् विकास लक्ष्य–4 सभी के लिए शिक्षा
5. भारत के संविधान में पंचायतों को मजबूत बनाने के संवैधानिक प्रयास
6. भारत शासन के सक्षम (SAKSHAM) अर्न्तगत मिशन वाटर कर्न्जवेशन (MWC) प्रशिक्षण

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का सैतीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 1 मार्च, 2018 एवं 12 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। इसके साथ–साथ **''राजमिस्त्री नई पहचान''** द्वारा प्रदेश में चल रहे राजमिस्त्री प्रशिक्षण पर एक आलेख प्रस्तुत किया गया है।

विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका प्रमुख है। जिसको **''सतत् विकास लक्ष्य–4 सभी के लिए शिक्षा''** आलेख के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं **''भारत के संविधान में पंचायतों को मजबूत बनाने के संवैधानिक प्रयास''** द्वारा पंचायतराज संस्थाओं से संबंधित 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम अंतर्गत उप–अनुच्छेद को आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही ग्रामीण स्तर तक वाटरशेड के अवधारणा के जानकार तथा मनरेगा में कार्य योजना बनाने में जल प्रबंधन को ध्यान में रखकर कार्य योजना बना सकने के उद्देश्य हेतु आयोजित प्रशिक्षण पर समाचार आलेख **''भारत शासन के सक्षम (SAKSHAM) अर्न्तगत मिशन वाटर कर्न्जवेशन (MWC) प्रशिक्षण''** प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01.03.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :

1.1 वर्ष 2017–18 की शेष स्वीकृतियॉ आगामी वीडियो कान्फ्रेंस के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पंजीयन एवं जियोटैगिग का कार्य जनपद स्तर से पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृति जारी करने का दायित्व जिला पंचायत का है।

1.2 वर्ष 2018– 19 के पंजीयन का कार्य राजगढ, विदिशा, नरसिंहपुर, खरगोन, शहडोल जिलों को छोडकर संतोषप्रद नही है। उदाहरण स्वरूप अनूपपुर, डिडौरी, श्योपुर, शाजापुर, शिवपुरी, अशोकनगर, जिलों में कोई भी प्रकरण स्वीकृत नही किया गया है। समस्त जिले एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करते हुए स्वीकृतियां जारी करें।

1.3 ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा प्रथम किश्त की राशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया है तथा आवास निर्माण प्रारंभ नही किया है। उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें इस कार्य में कलेक्टर तथा तहसील की मदद लें ।

1.4 समस्त जिलों में एक कक्ष कच्चा की जानकारी पत्र क्र. 6127/22/पीएमएवाय–जी दि. 15.05.17 से चाही गई थी। यह जानकारी जिलों द्वारा उपलब्ध कराने के बाद ही राज्य स्तर से लक्ष्य निर्धारित किये गये है। अतः किसी भी जिले को यदि लक्ष्य समर्पित करना है तो उसे पूर्व में यह जानकारी देनी होगी कि समर्पण का क्या कारण है।जिले के भीतर लक्ष्य भी ग्राम पंचायतों के बीच redistribution की अनुमति चाहे जाने पर दी जा सकेगी।

1.5 सभी जिले दो लगातार किश्तों में चार माह से अधिक विलंब वाले प्रकरणों का हितग्राहीवार परीक्षण करें तथा सभी प्रकरणों में आगामी किश्त शीघ्र जारी हो जावे।

1.6 नवीन पंजीयन करते समय बैंक खातों के परीक्षण उपरांत ही पंजीयन का कार्य किया जाये। जन धन खाते, छोटे खाते (जिनकी लिमिट सीमित रहती है) का पंजीयन न किया जाये

1.7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट द्वारा जिन हितग्राहियों द्वारा जियोटैग प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त अन्य वैध स्थल पर आवास निर्माण किया जा रहा है। उनको शेष किश्तों के भुगतान का एफ.टी.ओ. करने की अनुमति चाही। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में हितग्राही को किश्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाये।

2. स्वच्छ भारत मिशन :

2.1 अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाडा एवं खंण्डवा को उनके जिले को समय–सीमा में ओडीएफ घोषित करने के लिऐ बधई दी गई।

2.2 राजगढ, बडवानी, धार, रतलाम एवं मंदसौर जिले द्वारा शौचालय निर्माण के मासिक लक्ष्य का 84 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हेतु इन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सराहना की गई।

2.3 जिन जिलों ने शौचालय निर्माण के मासिक लक्ष्य से कम उपलब्धि प्राप्त की है, उनको माह मार्च में शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

3. मिशन अन्त्योदय :

3.1 मिशन अन्त्योदय का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों में SECC – 2011 के अनुसार वंचित परिवारों के जीवन में बदलाव (Transforming Lives) और संवहनीय आजीविका (Sustainable Livelihood) सुनिश्चित करना है। तत्संबंध में मिशन का कार्यान्वयन फेमवर्क नवम्बर– 2017 (Farmework for implementation) भारत सरकार के पोर्टल http://missionantyodaya.nic.in पर "RESOURCES" के लिंक में उपलब्ध है। इस दस्तावेज की प्रति सहभागी विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उपलब्ध करायें

ताकी मिशन अंत्योदय के विभिन्न आयामों, सहभागी विभागों की गतिविधियों तथा आउटकम को समझा जाकर आगामी कार्यचाही की जा सके।

3.2 भारत सरकार के समक्ष विभाग की वार्षिक आयोजना दिनांक 16 मार्च 2018 को प्रतुत की जाती है। इस वार्षिक आयोजना के लिए विभाग के पत्र क्र. 2243 दिनांक 24.02.2018 से प्रपत्र प्रेषित किया गया है। प्रपत्र के अनुरूप वांछित जानकारी 05 मार्च 2018 तक उपलब्ध करायें।

3.3 विभाग के पत्र क्र. 1769 दिनांक 13.02.2018 में सहभागी विभागों वर्ष 2018– 19 की वार्षिक आयोजना में "मिशन अंत्योदय" की पंचायतों में उनके द्वारा ली जा सकने वाली गतिविधियों को शामिल कर कार्यान्वयन के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

3.4 "मिशन अंत्योदय" के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर गठन हेतु विभाग के पत्र क्र. 1768 दिनांक 13.02.2018 में निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुरूप क्लस्टर का गठन कर जानकारी 12 मार्च 2018 तक उपलब्ध करायें।

3.5 ऐसी पंचायतें जहां बेसलाईन सर्वेक्षण नही हुआ है। वहां सर्वेक्षण कराकर मोबाईल एप पर इन पंचायतों का डाटा 20 मार्च 2018 तक अपडेट किया जाये बालाघाट, बडवानी, छतरपुर, दतिया, धार, डिडौरी, मंदसौर, पन्ना, रीवा, सतना, शिवपुरी तथा सिंगरौली जिलों में ऐसी पंचायतों की संख्या ज्यादा है।

3.6 मिशन अंत्योदय के संबंध में मुख्यालय स्तर से पत्राचार ई–मेल mp.antyodaya@gmail.com के द्वारा किया जा रहा है। कृप्या उपरोक्तानुसार अपेक्षित जानकारी इस ई–मेल पर ही प्रेषित करें।

4. महात्मा गांधी नरेगा :

4.1 वर्ष 2018– 19 में जिलों द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण पर चर्चा की गई एवं जिन जिलों द्वारा पात्र वर्ग के किसानों के खेतों की मेड व खेत में वृक्षारोपण का आंकलन नही किया गया है। उन्हें सही आंकलन कर गूगल शीट 12–A में जानकारी की प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही – CEO ZP, समस्त जिले)

4.2 प्रजाति वार पौधौं की मांग को जिलों द्वारा गूगलशीट में प्रविष्टि को फ्रीज किया जाए इसी आधार पर विभाग को प्राप्त लक्ष्य में वानिकी एवं उद्यानिकी पौधौं की संख्या प्राक्कलन की जाए।

(कार्यवाही– आयुक्त म.प्र.रा.रो.गा. परिषद)

4.3 पौध रक्षकों के मास्टर ट्रेनर्स के जिन जिलों द्वारा गूगल शीट – 14 में नाम नही भरे गये हैं या गलत प्रशिक्षणार्थियों के नाम दिये गये हैं वह 03 मार्च 2018 को दोपहर 2.30 बजे तक गूगल शीट में सही प्रविष्टि करें।

(कार्यवाही– जिले बुरहानपुर, छतरपुर, पन्ना, श्योपुर)

4.4 गेप फिलिंग हेतु गूगल शीट 13–B में ग्वालियर, छतरपुर एवं श्योपुर द्वारा जानकारी नही भरी गई है। तीनों जिले 02 दिवस में प्रविष्टि पूर्ण करें।

4.5 वर्ष 2017–18 में वृक्षारोपण कार्यों के सत्यापन हेतु जिले क्लस्टर स्तर के अधिकारियों को नामांकित कर कैलेण्डर तैयार कर लेवें, जिससे समय पर सत्यापन की कार्यवाही होकर Gap filling हेतु भुगतान हो सके (कार्यवाही– समस्त जिले)

जिलों द्वारा Gap filling हेतु पौधों की माग की प्रविष्टि की गई है उसमें अधिकतर शासकीय विभाग की नर्सरी यथा – उद्यानिकी, वन विभाग आदि की नर्सरियों की प्रविष्टि की गई है। वन पौधौं का इस वर्ष के पौधारोपण में उपयोग होना संभावित है। अतः Gap filling के लिए आवश्यक पौधों की उपलब्धता की गणना इस बिन्दु पर ध्यान देकर की जावे ।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 12.03.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृतियां, जियो टैगिग एवं आर्डर शीट जनरेट के संबंध में जिला कटनी, शिवपुरी, श्योपुर, खरगौन, छतरपुर, सागर, रीवा, धार, शहडोल, गुना, होशंगावाद, विदिशा, टीकमगढ, राजगढ, सिवनी, बालाघाट, मुरैना, मण्डला, जबलपुर, कटनी, नरसिहपुर, दमोह, बडवानी एवं रतलाम की प्रगति बहुत कम रही है।

1.2 झाबुआ जिले की प्रगति के आंकलन के लिए संयुक्त आयुक्त (विकास) इन्दौर को निर्देशित किया गया की वे 10 दिवस के पश्चात पुनः जिले का दौरा कर योजना की प्रगति से अवगत करायेंगी।

1.3 सभी जिले सुनिश्चित करें की योजनान्तर्गत स्वीकृतियां, रजिस्ट्रेशन, जियो टेगिग का कार्य दिनांक 31 मार्च 2018 तक 100 प्रतिशत पूरा हो जाए।

1.4 रजिस्ट्रेशन तथा स्वीकृति के अंतर की समीक्षा की जावे। केम्प लगाकर लक्ष्य पूर्ती करें ।

1.5 लक्ष्य के पुनर्वितरण के संबंध में विभाग द्वारा नवीन निर्देश दिनांक 9.3.18 के अनुसार कार्यवाही करें। पुनर्वितरण के लिए पारदर्शी एवं उपयोगी मापदंड का निर्धारण CEO जिला पंचायत स्वयं निर्धारित करें राज्य स्तर से कोई fixed formula दिया जाना आवश्यक नही है। यदि स्थानीय तौर पर इन निर्देशों के पालन में कोई कठिनाई सामने आती है तो ACS को स्वतः अवगत कराएं।

1.6 प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर पुरूस्कार हेतु जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन दिनांक 10 मई तक कर सकते है। माह मई में उत्कृष्ट कार्यों वाले अधिकारियों को आमंत्रित कर पुरूस्कृत किया जावेगा।

1.7 डिण्डौरी जिले की कठिनाई के संबंध में निर्देशित किया गया की ऐसे स्थानों पर स्वीकृत किये गए आवासों को पूर्ण करने हेतु रणनीति तैयार कर भेजें। यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो तो भी अवगत कराएं। अगर ऐसे लक्ष्य के पुनर्वितरण करने की आवश्यक्ता हो तो ACS से CEO स्वतः चर्चा कर लें।

2 स्वच्छ भारत मिशन :

2.1 अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट को उनके जिले को समय–सीमा में ODF घोषित करने के लिऐ बधाई दी गई।

2.2 जिला पंचायत दतिया एवं अलीराजपुर के सीईओ द्वारा वीसी में अवगत कराया गया की उनका जिला 15 मार्च तक ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा। सीधी एवं देवास जिला को छोडकर सीईओ जिला पंचायत रीवा एवं विदिशा द्वारा मार्च अंत तक अपने जिला को

ओडीएफ किये जाने का आश्वासन दिया गया।

2.3 अपर मुख्य सचिव ने अपेक्षाकृत कम प्रगति के जिलों के जिला सीईओ को निर्देशित किया कि वे प्रगति बढाने हेतु आवश्यक समस्त गतिविधियों को लगातार क्रियान्वित एवं सतत मॉनिटरिंग कर शौचालय निर्माण का साप्ताहिक लक्ष्य आवश्यक रूप से प्राप्त करें। जिला राजगढ, धार, टीकमगढ, बडवानी, मंदसौर तथा रतलाम के सीईओ द्वारा अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

3.1 SHG सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.12.17 के लंबित देयकों का भुगतान जिन जिलों को नहीं हुआ है। वे जिले हितग्राहियों की संख्या परिवहन एवं भोजन पर कितना व्यय हुआ है। आदि की जानकारी श्री अजीत तिवारी, उपायुक्त, स्वच्छ भारत मिशन को भेजे ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

3.2 रू. 50.00 लाख की लागत से आजीविका भवन निर्माण कराने हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी गई थी। केवल 12 जिलों के द्वारा ही राशि अंतरित हुई है। शेष जिलों के द्वारा कार्य प्रारंभ नही किया गया है। इस संबंध में आगामी VC में चर्चा की जावेगी।

4 मनरेगा(वृक्षारोपण कार्य योजना) :

4.1 दिनांक 09.03.2018 को वृक्षारोपण का परिपत्र उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं किसान कल्याण व कृषि विभाग से जारी किया गया है। जिसमें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्य एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। इस हेतु परिपत्र अनुसार वृक्षारोपण के कार्य कराये जाएं।

4.2 जिलों द्वारा वृक्षारोपण के लिए आवश्यक परियोजना, पौध रक्षक, किसानों का चयन कर लिया जाए।

4.3 सामुदायिक वृक्षारोपण में ग्राम पंचायत को ऐजेंसी बनाने का विकल्प दिया जायेगा। CEO, ZP निर्धारित करेगे की वृक्षारोपण कार्य मे ग्राम पंचायत ऐजेंसी रहेगी या पौधरक्षक द्वारा कराया जायेगा ।

4.4 पिछले वर्ष की वृक्षारोपण परियोजनाओं का विशलेषण किया जाए कि कितनी परियोजनाओं में गेप फिलिग की आवश्क्ता है।

4.5 गेप फिलिग हेतु उद्यानिकी एवं वानिकी प्रजाती के कितने पौधों की आवश्क्ता होगी। आंकलन कर लिया जाए।

4.6 वर्ष 2018–19 में ली जाने वाली परियोजनाओं में खेत की मेढ पर परियोजना की संख्या को कई जिलों ने शून्य भरा है। उसे Check करें।

4.7 राज्य स्तर पर सामग्री अनुपात बहुत कम प्रदर्शित हो रहा है। अतः जिले लंबित सामग्री के बिलों की एन्ट्री पोर्टल पर करें ।

4.8 नरेगा साफ्ट में अपूर्ण कार्यों की रिपोर्ट में वर्ष 2015–16 एवं पूर्व के आवास काफी संख्या में अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे है, जबकी वास्तव में अधिकांश कार्य पूर्ण हैं। जिले पुराने आवास के कार्यों का मिलान आवास

शाखा के प्रभारी से कर लें एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर CC नरेगा साफ्ट में दर्ज करें। जो आवास हितग्राही के गबन, पलायन आदि से पूर्ण नही किये जा रहे हैं। जनपदवार संख्या की सूची परिषद को भेजें।

4.9 नरेगा साफ्ट में वर्ष 2016–17 के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास अधिक संख्या में अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे है। इनकी भी समीक्षा करें एवं आवास साफ्ट की संख्या से मिलान कर भौतिक सत्यापन के आधार पर CC जारी करें।

4.10 वित्तीय वर्ष 2013–14 से ई–एफएमएस प्रणाली लागु होने के पूर्व में स्वीकृत कार्यों के व्यय का परीक्षण संबंधित कियान्वयन ऐजेंसी के केशबुक से किया जाए, यदि कार्य भौतिक रूप से अप्रारंभ है एवं कार्य पर व्यय शून्य प्रतिवेदित है तो कार्य को विलोपित (डिलीट) करें। वर्ष 2013 से ई–एफएमएस प्रणाली लागू होने से 2013–14 एवं उसके बाद स्वीकृत कार्यों का व्यय एमआईएस में अगर शून्य प्रतिवेदित है एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त उक्त कार्य अब तक अप्रारंभ है, तो उक्त कार्यों को विलोपित किया जाए। उक्त कार्रवाही दि. 31 मार्च 2018 के पूर्व कर ली जाए।

4.11 लेबर बजट की MIS entry 15 करोड मानव दिवस के आसपास हुई है। वास्तविक रूप से कार्यों को पूर्ण करने के लिए आगामी वर्ष में कम से कम 20 से 21 करोड मानव दिवस की आवश्यक्ता है। जिले इसकी समीक्षा कर लेबर बजट की entry करें। Work projection की भी समीक्षा कर सही जानकारी इन्द्राज करें ।

5 स्वच्छ भारत मिशन :

5.1 जिला एवं जनपद पंचायतों के एकल खाते को पंचपरमेश्वर पोर्टल से इंटिग्रेटेट कर समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से किये जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

5.2 14 वे वित्त आयोग के अंतर्गत परफारमेस ग्राण्ट की राशि प्राप्त करने के लिए शेष रहे प्रस्ताव जिला अलीराजपुर, अनूपपुर, मण्डला, रायसेन, सतना, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं विदिशा से अप्राप्त है। दिनांक 13 मार्च 2018 तक पूर्ण/अपूर्ण प्रस्ताव संचालक पंचायतराज को अनिवार्य रूप से भेजें।

5.3 डीआरडीए योजना अन्तर्गत द्वितिय किश्त के प्रस्ताव जिन जिलों के द्वारा नही भेजा गया है और जिनमें प्रस्ताव अपूर्ण है, उन जिलों के प्रभारी अधिकारी प्रस्तावों को लेकर दिनांक 16 मार्च 2018 को पंचायतराज संचालनालय में उपस्थित होवें।

जिला एवं जनपद पंचायतों को आवंटन की राशि का आहरण कोषालय से करने में आ रही समस्या हेतु संचालक, पंचायतराज निराकरण करें।

(CEO जबलपुर की चर्चा के संबंध में)

राजमिस्त्री नई पहचान

धार जिले के जनपद पंचायत गंधवानी के ग्राम पंचायत जीराबाद में दिनांक 23.11.2017 से 35 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया जो 7 आवास में दिया गया प्रत्येक आवास पर 5 राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया गया । इन राजमिस्त्रियों द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व मकान बनाने से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था इसमें से कुछ ने सिर्फ वेलदार का कार्य किया था इन 45 दिवस के प्रशिक्षण में राजमिस्त्रियों ने मकान बनाने से संबंधित सभी तकनीक को सीखा जिसमें जुड़ाई में इंग्लिश बाण्ड् काल्म में पुटिंग करना, सरिये बांधना, रिंग बनाना, कॉलम भरना, बीम भरना, सेन्टरिग करना, लेवल निकालना भराई में कुटाई कितने ईंच पर करना, सरियों की जांच करना ईंट की क्वालिटी जांचना, रेत की क्वालिटी जांचना, सीमेन्ट की जांच करना, गुनियाँ जांचना, लेआउट, 3, 4, 5 पद्धति से डालना, नीव की खुदाई में मिट्टी कहाँ पर डालना आदि सभी कार्यो को तकनीकी रूप से किस प्रकार किया जाता है। सीखा ताकि एक अच्छा और क्वालिटी वाला घर बन सकें इस प्रशिक्षण से सभी राजमिस्त्रीयों में एक आत्मविश्वास जागृत हुआ एवं अब उन्हें अच्छा काम मिलने लगा है उन राजमिस्त्रियों के बैच में से 10, 12 राजमिस्त्रियों ने स्वयं का काम शुरू कर दिया है। प्रशिक्षण से पूर्व तक ये राजमिस्त्री का कार्य नहीं जानते थे किन्तु इन 45 दिन के प्रशिक्षण में वे राजमिस्त्री के कार्य को अच्छी तरह सीख गये एवं उसके बाद वे शासन की योजनाओं शौचालय एवं PMAYG के कार्य कर रहे है । अब वे व्यक्तिगत रूप

से मकान के ठेके भी लेने लग गये है । प्रशिक्षण के पूर्व वे राजमिस्त्रियों के अण्डर में काम करते थे । शासन की इस कौशल उन्नयन योजना से निश्चित रूप से नौजवानों को लाभ मिला एवं उनके अन्दर के हुनर को उभारा गया जिससे वे व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम हो गये ।

राजमिस्त्री गोविन्द, महेश, रामसिंह कालू, देलसिंह, जलाल भुवानसिंह, अर्जुन, मेहरबान, आदि सभी राज मिस्त्री अब अपनी नई पहचान के साथ जाने जाते हैं एवं लगातार काम मिल रहा है जो पहले कभी–कभी मिलता था तथा आमदनी में भी बढौतरी हुई है। जहां पहले 150–200/– मिलते थे अब 300–350 प्रतिदिन मिलने लगे है। सभी शासन की इस योजना से खुश है जिसने उन्हें एक नई पहचान मिली है ।

श्रीमती उर्मिला पंवार
संकाय सदस्य

सतत् विकास लक्ष्य–4 सभी के लिए शिक्षा

समावेशी, निष्पक्ष और गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए शिक्षा के जीवनपर्यन्त अवसर प्रदान करना

1. परिचयः जीवन में शिक्षा की भूमिका

विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका प्रमुख है। बेहतर रोजगार के लिए नए कौशल प्राप्त करना भी शिक्षा पर निर्भर करता है। भारत ने 'बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम' अथवा 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया है, यह एक ऐसा अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अ के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व की पुष्टि करता है। हालांकि शिक्षा, खासकर के प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

भारत में शिक्षा की वृद्धि दर स्थिर बनाए रखने के लिए निम्न कदम उठाने की आवश्यकता हैः–

1. नामाकंन की दर को बढ़ाना
2. स्कूल में बने रहने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ाना
3. स्कूल से निकल जाने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष घटाना

2. पंचायतें क्यों?

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक विधालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षाा और पुस्तकालयों के साथ शिक्षा, पंचायत को हस्तांतरित किये गए 29 विषयों के अतर्गत आती है।

सबको शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायते निम्न दिशाओं में काम कर सकती हैः	
सुविधा उपलब्ध कराना	• छात्रवृत्ति, यूनिफार्म, किताबों, मिड–डे मील जैसे अधिकारों तक पहुंच • ऐसे बच्चों की स्कूल तक पहुंच जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है • लड़कियों की स्कूल में निरंतर पढाई सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए शौचालयों का निर्माण • स्कूल से निकले/स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को आगे पढ़ने हेतु कोर्स उपलब्ध कराने के लिए संध्याकालीन स्कूल, मोबाइल स्कूल, अध्ययन केंद्र और आवासीय कैंप • शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लाइन विभाग के साथ समन्वय • दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के लिए छात्रावास और परिवहन की व्यवस्था
प्रोत्साहन	• शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को प्राप्त अधिकारों के

	बारे में जागरुकता फैलाना • विधालयों में 100 प्रतिशत विधार्थियों के नामाकंन और पढाई जारी रखने का परिवेश बनाना • विधालय की मूलभूत भौतिक सुविधाओं/सामाजिक वातावरण/बच्चों के मूल्याकंन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक और भागीदारी वाली शिक्षा योजना • आंगनवाड़ियों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की योजना बनाना
निगरानी	• शिक्षा की गुणवत्ता • अगला कदम उठाने के लिए लड़कियों और लड़कों के स्कूल से निकलने की दर और कारण • अगला कदम उठाने के लिए लड़कियों और लड़कों की अनियमित उपस्थिति की दर और कारण

3. ग्राम पंचायत में शिक्षा की योजना बनाने की शुरुवात हम कैसे कर सकते है?

- ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं के आधार पर मुख्य क्षेत्रों की पहचान करना–लक्ष्य निर्धारित करना
- पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्धेश्य निर्धारित करना
- उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना
- कार्य योजना के क्रियान्वयन में मददगार संसाधनों को पहचानना
- कार्य योजना के क्रियान्वयन में मददगार मानव संसाधनों और लोगों की पहचान करना।

3.1 सभी के लिए शिक्षा की योजना बनाते हुए हमारी ग्राम पंचायत किन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है?

- सभी लड़कों और लड़कियों का स्कूल मे नामाकंन सुनिश्चित करना
- 100 प्रतिशत बच्चों का स्कूल में पढाई जारी रखना और किसी का स्कूल न छोडना सुनिश्चित करना
- गांव में 100 प्रतिशत साक्षरता सुनिश्चित करना

ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को देखे– सभी लोगों के लिए समावेशी और उचित शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सीखने की जीवनपर्यन्त अवसरों को बढ़ावा देने के सतत विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में आप योगदान कर रहे है। अपनी ग्राम सभा को तैयार करें, पंचायत विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करें, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें, राज्य तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से संसाधन जुटाएं, समाज तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करें।

पंकज राय,
संकाय सदस्य

''भारत के संविधान में पंचायतों को मजबूत बनाने के संवैधानिक प्रयास

ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रारंभ में संविधान के भाग चार राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए जरूरी कदम उठाने, उन्हें शक्तियां और प्रधिकार प्रदान करने के लिए राज्यों को जिम्मेवार बनाया गया था। कई वर्षो के बाद भी विभिन्न राज्यों की पंचायत राज व्यवस्था से अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति गुंजाइश बनी हुई है।

वर्ष 1993 में देश की संसद ने संविधान में 73वां संशोधन

करके पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये। पंचायतराज संस्थाओं से संबंधित विधेयक को संशोधित कर दिसम्बर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में ससंद से पारित करवाया गया । यह 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रेल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन में नया भाग 9 जोडा गया जिसका शीर्षक ''पंचायत'' है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये गये जिसमें 15 उप–अनुच्छेद हैं। आईये अब देखते हैं इन प्रमुख प्रावधानों की खास–खास बातों को :–

(अनुच्छेद 243) परिभाषाएं

अनुच्छेद 243 में जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, ग्राम की परिभाषाएं दी गई हैं।

(अनुच्छेद 243 क.) ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना

ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं।

(अनुच्छेद 243 ख.) पंचायतों का गठन

प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन उन राज्यों में नहीं होगी जिनकी जनसंख्या बीस लाख से कम हो।

(अनुच्छेद 243 ग.) पंचायतों की संरचना

प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया जावेगा । राज्य विधानमण्डल, विधि द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रमुखों का मध्यवर्ती पंचायतों में तथा मध्यवर्ती पंचायतों के न होने पर जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा तथा इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायतों के प्रमुखों का जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा । पंचायत का प्रमुख तथा पंचायत के अन्य सदस्य चाहे वे पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित हो या न हो, मात्र ही पंचायत की सभाओं में वोट देने के अधिकार से युक्त होगें । ग्राम स्तरीय पंचायत के प्रमुख, मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जायेग। मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय पंचायतों

के प्रमुखों का निर्वाचन पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा ।

(अनुच्छेद 243 ग.) स्थानों का आरक्षण

प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये स्थान आरक्षित होगें । यह स्थान पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किये जायेगें । यह स्थान एक पंचायत में चक्रानुक्रम में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित किए जायेगें । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगें । प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेगें (जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाती की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं।) ये सीटें चक्रानुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जाएगी ।

(अनुच्छेद 243 ङ .) पंचायतों की अवधि

प्रत्येक पंचायत की कार्यावधी 5 वर्ष होगी । इसकी कार्यावधी की समाप्ति के पूर्व ही नए चुनाव कराये जायेगें । यदि पंचायत को पॉच वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव कराये जायेगें ।

(अनुच्छेद 243 च.) सदस्यता के लिए निरर्हताएं

कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह राज्य के विधान मंडल के निर्वाचनों के लिए निरर्हित कर दिया जाता है। पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए।

(अनुच्छेद 243 छ.) पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी है, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने के संबंध में इन शक्तियों और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किये जा सकेगें।

ग्यारवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ.)

1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जलविभाजक क्षेत्र का विकास
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट पालन
5. मत्स्य उद्योग
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी
7. लघु वन उपज
8. लघु उद्योग, जिनकें अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और औषधालय भी है।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला एवं बाल–विकास।
26. सामाजिक कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गो का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

भारत शासन के सक्षम (SAKSHAM) अर्न्तगत मिशन वाटर कर्न्जवेशन (MWC) प्रशिक्षण

मिशन वाटर कंर्जवेशन मनरेगा के अन्तर्गत एक प्रमुख कार्य है इस कार्यक्रम का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन More Crop Per Drop, Har Khet Ko Pani को साकार करना है, इसमें रिज टू वैली ट्रीटमेंट और सामुदायिक कार्यो के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सूखे से सुरक्षित बनाना है। इस मिशन में जल की कमी वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख 112 सिंचाई विहीन जिले, 1068 अति शोषित ब्लाक (भू–जल का शब्द) और 217 संकट ग्रस्त ब्लॉक का चयन किया गया है। इस कार्य को करने के लिये संबधित मानव संसाधन की क्षमता वर्धन किया गया है। जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्त्रोत व्यक्तियों (NTRT) की टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा मध्यप्रदेश में 32 राज्य स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों (STRT) को प्रशिक्षित किया गया, इन राज्य स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा 519 जिला स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों (DTRT) को तथा जिला स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा 2342 ब्लाक स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों (BTRT) को प्रशिक्षित किया गया है।

इस प्रशिक्षण में मिशन वाटर कर्न्जवेशन की अवधारणा, वाटरशेड की अवधारणा, कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट, सिंचाई के तरीके, भूमि का समतलीकरण, पौधरोपण, कार्य योजना (DPR) बनाने में भुवन पोर्टल का उपयोग, कार्य की विस्तृत योजना बनाना, वर्षा जल का संरक्षण, कृत्रिम रिचार्ज के साधन एवं भू–जल विज्ञान अर्न्तगत जल संसाधन और प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उत्तम तरीके से जल संरक्षण के लिए मनरेगा के साधनों का उपयोग करने की जानकारी दी गई। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन (NRM) के लिये केन्द्रीय भू–जल बोर्ड एवं जीआईजेड द्वारा डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को बताया गया। मिशन वाटर कंर्जवेशन की योजना बनाने में जियो इन्फमेशन तकनीकी बहु उपयोगी साबित होगी, इस विषय के अर्न्तगत भुवन पोर्टल में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर किसी भी गांव या क्षेत्र की मनरेगा अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना (DPR) उपलब्ध मानचित्र (प्रशासनिक एवं जल की उपलब्धता) से बनाने में बहुत आसानी होगी तथा समयानुसार कार्य योजना बनाकर कार्य को पूर्ण कराया जा सकता है। आवासीय प्रशिक्षण में जिला स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों (DTRT) को संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्रोग्रामर द्वारा तथा गैर आवासीय ब्लाक स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों (BTRT) को कम्प्यूटर एवं जीआईएस तकनीकी के पारंगत जिला स्तरीय इंजीनियरो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस प्रशिक्षण के परिणाम यह हो सकते है कि ग्रामीण स्तर तक वाटरशेड के अवधारणा के जानकार तथा मनरेगा में कार्य योजना बनाने में जल प्रबंधन को ध्यान में रखकर कार्य योजना बना सकेंगे।

एन.पी. गौतम
संकाय सदस्य